उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 319– का०वि०नी० एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2019–6–काविनी/19 दिनांक 03, अप्रैल, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– कारपोरेशन के सेवानिवृत्त कार्मिकों को वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

कारपोरेशन के कार्य हित में अति आवश्यक एवं अपरिहार्य होने के दृष्टिगत कारपोरेशन की सेवा से सेवानिवृत्त कार्यकुशल, अनुभवी एवं कार्य में दक्ष कार्मिको के अनुभव एवं क्षमता का उपयोग किये जाने हेतु, निर्धारित समयावधि हेतु अनुबंध के आधार पर योजित किए जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में एतद्द्वारा निम्न प्राविधान निर्धारित किये जाते हैः–

1. कारपोरेशन कार्य हित में अति अपरिहार्य एवं आवश्यक होने पर कारपोरेशन के सेवानिवृत्त अनुभवी एवं कार्य विशेष में दक्ष कार्मिकों को वाह्य सेवा प्रदाता मै0 श्रीट्रॉन इण्डिया लि0 (उ0प्र0 सरकार का उपक्रम) के माध्यम से अनुबन्ध के आधार पर आउट–सोर्सिंग से योजित किया जायेगा।
2. इस प्रकार आउट–सोर्सिंग के माध्यम से अनुबन्धित सेवानिवृत्त कार्मिकों को मे0 श्रीट्रॉन इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित अधिष्ठान व्यय 8 प्रतिशत, जी0एस0टी0 18 प्रतिशत के आधार पर प्रति माह निर्धारित देय पारिश्रमिक की समेकित धनराशि के भुगतान की स्वीकृति निम्नांकित विवरणानुसार अनुमोदित की गई हैः–

(धनराशि रू0 में)

क्र0सं0	सेवानिवृत्ति पर पदनाम	प्रतिमाह देय पारिश्रमिक की समेकित धनराशि	मे0 श्रीट्रॉन इण्डिया लि0 द्वारा प्रस्तावित अधिष्ठान चार्जेज 8 प्रतिशत की दर से	कुल धनराशि (3+4)	जी0एस0टी0 18 प्रतिशत कालम नं0 5 पर	कुल योग कालम नं0 (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुसेवक तथा समकक्ष	10000.00	800.00	10800.00	1944.00	12744.00
2.	टी0जी0–II (तकनीशियन), लाइनमैन, कार्यकारी सहायक (पूर्व पदनाम कार्यालय सहायक–तृतीय/द्वितीय) तथा समकक्ष	17000.00	1360.00	18360.00	3305.00	21665.00

क्रमशः –2–

--4

3.	अवर अभि0, समी0अधि0, अपर निजी सचिव, लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक, संगणक, आशुलिपिक (वि0श्रे0) तथा समकक्ष	28000.00	2240.00	30240.00	5443.00	35683.00
4	सहा0अभि0, अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव (श्रेणी–2), सहा0 लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, कार्मिक अधि0, सहा0विधि अधिकारी एवं समकक्ष	36000.00	2880.00	38880.00	6998.00	45878.00
5.	अधि0अभियन्ता, अनु सचिव, उप सचिव, निजी सचिव (श्रेणी–1), निजी सचिव (वि0श्रे0), वरिष्ठ लेखाधिकारी , उपमुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (वि0श्रे0) एवं समकक्ष	45000.00	3600.00	48600.00	8748.00	57348.00
6.	अधीक्षण अभियंता , संयुक्त सचिव, प्रमुख निजी सचिव, उप महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	55000.00	4400.00	59400.00	10692.00	70092.00
7.	मु0अभि0– I I, अपर सचिव , महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	65000.00	5200.00	70200.00	12636.00	82836.00
8.	मु0अभि0– I, मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा) एवं समकक्ष	70000.00	5600.00	75600.00	13608.00	89208.00

क्रमशः–3

3. आउट–सोर्सिंग के माध्यम से योजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को किसी भी प्रकार के वित्तीय अथवा प्रशासनिक अधिकार प्रदत्त नहीं होगें ।

4. निगमीय कार्य सम्पादन की सुगमता के दृष्टिगत आउट–सोर्सिंग के आधार पर योजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनके सेवानिवृत्ति पर धारित पद के सापेक्ष अनुमन्य एवं अनुरूप सी0यू0जी0 एवं वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति वर्तमान व्यवस्था में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा योजित कार्मिकों को सीधे किया जायेगा।

5. सेवानिवृत्त कार्मिकों से सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायें/योगदान प्राप्त करने की व्यवस्था एवं कार्य प्रणाली में एकरूपता लाये जाने के लिए, जो सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचारी पूर्व में लागू व्यवस्था के अन्तर्गत संविदा पर कार्य कर रहें हैं, उनकी कार्यावधि समाप्त होने अथवा दिनांक 31.03.2019 जो भी पहले हो, के उपरान्त वाह्य सेवा प्रदाता के द्वारा योजित की जाने वाली उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत ही आवश्यकतानुसार योजन किया जायेगा। इस प्रकार पूर्व व्यवस्था 31.03.2019 से समाप्त हो जायेगी।

6. उपरोक्तानुसार आउट–सोर्सिंग के माध्यम से सेवायोजित कर्मचारी/अधिकारी, उनको दिये गये समस्त कार्यों का निष्पादन (बैकिंग एवं टेण्डर सम्बन्धी कार्यो तथा वित्तीय स्वीकृति व भुगतान को छोड़कर) (वाह्य सेवायोजित पदनाम) Name of the post (Outsourced) के रूप में करेगें। सभी वाह्य योजित कार्मिक, उन्हें दिये गये समस्त कार्यों का निष्पादन नियमानुसार करेंगें तथा यदि उनके स्तर से किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो उसके लिए वह उत्तरदायी होंगे।

7. सेवानिवृत्त कार्मिकों की सेवाएं अनुबन्ध के आधार पर आउट–सोर्सिंग के माध्यम से लिये जाने के सम्बन्ध में कारपोरेशन की सम्बन्धित इकाई के निदेशक अधिकृत होंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या– 319–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लि0 के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल /पूर्वान्चल/ पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को–कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वह यथा आवश्यकतानुसार अति अपरिहार्य होने पर, सेवानिवृत्त कार्मिकों को विभागीय कार्यहित में, अनुबंध के आधार पर वाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से योजित किए जाने के संबंध में, उपरोक्तानुसार लिए गए निर्णय के अनुरूप कार्यवाही हेतु।

क्रमशः–4

Mah

5. समस्त निदेशकगणों के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (जानपद) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
8. अपर सचिव–प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. संयुक्त सचिव (कार्य) , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन) , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (जानपद) , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
10. अनु सचिव (स0प्र0–लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) , उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन के सम्बन्ध में ।
13. मुख्य संचालन अधिकारी, मै0 श्रीट्रॉन इण्डिया लि0, लखनऊ को उनके पत्र सं0–REF–SIL/COO/LKO/18-19/930 दिनांक 22.01.2019 के संदर्भ में।
14. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)
अनु सचिव (काविनी)